N. 362
17/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 37/2017

किशनलाल पिता गोपी गुर्जर निवासी बागपला — प्रार्थी

बनाम

(1) लक्ष्मण पिता गोपी गुर्जर निवासी बागपला
(2) देवकरण पिता हजारी गुर्जर —"— —"—
(3) गोपाल पिता हजारी गुर्जर —"— —"—
(4) रणजीत पिता हजारी गुर्जर —"— —"—
(5) रामस्वरूप पिता हजारी —"— —"— —"— बागपला — विपक्षी

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

— आदेश :— दिनांक— 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री किशनलाल गुर्जर ने जरिये [illegible] श्री मुकेश पाटीदार ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे स्वत्व [illegible] खाते की भूमि ग्राम बागपला प0ह0 रजगढ तह0 माण्डलगढ मे आ[illegible] आ0न0 118/1 रकबा –2 बीघा किता 1 रकबा 2 बीघा —बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये [illegible] विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान करा[illegible] साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान [illegible] की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत 2072-2075 अवलोकन से प्रार्थी [illegible] आराजीयात का खातेदार/~~गैरखातेदार~~ काश्तकार है। पडौसियान के विवाद [illegible] शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव [illegible] है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार [illegible] ग्राम बागपला की आराजी न0— 118/1 रकबा 2 बीघा रकबा 2 बीघा — बिस्वा — की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी [illegible] के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया [illegible] कमीशनर फीस 100 /-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा [illegible] पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ [illegible] माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।